गोपनीय/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या: 1984 आर/छ:-पु0-5-6-678/96

प्रेषक,

सचिव, गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 03 जून, 1998

विषय: व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने की प्रकिया-अतिरिक्त नीति निर्देश।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा समय-समय पर नीति विषयक निर्देश दिये गये हैं। ऐसे व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र लाइसेंस, जिनके लाइसेंसिग का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित हैं, के प्रार्थना पत्रों पर शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियमावली 1962 के तत्संबंधी प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में समय-समय पर जारी विज्ञप्तियों और शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए, नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

अन्य आदेशों के अलावा इस संबंध में शासनादेश संख्या:1083आर/6-पु0-5-2ए.क्यू./90 दिनांक 31-3-92, शासनादेश संख्या:सी.एम.669आर/6-पु0-5-739/92 दिनांक 17-8-94, शासनादेश संख्या : 3059आर/ 6-पु0-5-770/92 दिनांक 23-12-93, शासनादेश संख्या:सी.एम.150आर/6-पु.-5-521/95 दिनांक 27-3-95 एवं शासनादेश संख्या:3520आर/6-पु.-5-526/95 दिनांक 17-1-97 एवं अधिसूचना संख्या:जी.आई. 16आर/8-5-1262-87(टी.सी.) दिनांक 5-9-89 के क्रम में व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1. आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को सामान्यत: जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा सीधे संबंधित थानाध्यक्ष को आयुध अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के अनुरूप इस निर्देश के साथ भेजा जायेगा कि इस संबंध में समुचित परीक्षण के उपरान्त अधिकतम 20 दिन में आख्या जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी जायेगी। विशिष्ट मामलों में जिला मजिस्ट्रेट इस अवधि से कम समय सीमा भी अपने विवेकानुसार निर्धारित कर सकते हैं।
2. शस्त्र लाइसेंस के संबंध में नियम 51 (शस्त्र नियमावली) के अनुरूप प्राविधानित शिड्यूल के अनुरूप सूचनाओं को प्राप्त किया जाय एवं उनका समुचित परीक्षण किया जाय।
3. पुलिस द्वारा यह अवश्य देखा जायेगा कि संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक इतिहास तो नहीं विद्यमान है।

4. थानाध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस संबंध में कार्यकारी आदेश एक सप्ताह में पारित करके जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करायेंगें। जब तक ऐसे कार्यकारी आदेश पारित नहीं होते हैं तब तक थानाध्यक्ष द्वारा यह आख्या जनपद के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।

5. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से तहसील को भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रों को सीधी एस.डी.एम. को भेजा जायेगा। एस.डी.एम. द्वारा नायब तहसील से आख्या प्राप्त करके विलम्बतम एक माह में अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी जायेगी।

6. पुलिस एवं तहसील की जांच आख्यायें किसी भी दशा में दस्ती प्रेषित नहीं की जायेंगी। जांच आख्यायें प्रेषित करने के संबंध में विधिवत पंजिका स्थाई अभिलेख के रूप में रखी जायेंगी।

7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र संबंधी प्रार्थनापत्रों को यथासम्भव तीन माह में अवश्य निस्तारित कर दिया जायेगा। शस्त्र लाइसेंस के कार्यों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कम्प्यूटरीकृत करा दिया जायेगा, जैसाकि शासनादेश संख्या: 712-आर/6-पु0-5/98 दिनांक 17-2-98 द्वारा पहले भी निर्देशित किया जा चुका है।

8. विधान सभा/विधान परिषद् तथा संसद के ऐसे सदस्य, जिनका अपराधिक इतिहास न हो, ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध कोई जघन्य अपराध घटित हुआ हो एवं ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकृति के कारण आग्नेयास्त्र की आवश्यकता हो, को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रिया उपरान्त लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

9. ऐसे व्यक्ति, जिनका बड़े स्तर पर व्यवसाय है और उनके अपहरण अथवा लूटे जाने का भय है और उनके पास कोई अन्य शस्त्र लाइसेंस नहीं है तथा शासकीय नीति के अनुसार वह शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र है, को लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा शीघ्र लाइसेंस प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

10. साधारणत: आवेदकों से आयकर एवं व्यापार कर के प्रमाण-पत्र अथवा अन्य अभिलेख प्राप्त करके आवेदन पत्र की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा। जिन व्यक्तियों को वास्तविक जीवन भय है और उनके पास कोई अन्य शस्त्र अथवा सुरक्षा का माध्यम नहीं है, उनके संबंध में ''जीवन भय'' के सही प्रमाणिक मूल्यांकन के बाद ही शासकीय नीति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

11. उत्तराधिकार के मामलों तथा ऐसे मामलों में जहॉ कोई वयोवृद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से अपने वारिस को अपना लाइसेंस 'दिना'' चाहता है एवं वारिस शस्त्र लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए समुचित पात्रता रखता है, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा एक माह में समुचित आदेश अवश्य पारित किये जायेंगे।

12. शस्त्र लिपिक द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त रजिस्टरों एवं अभिलेखों को प्रभारी अधिकारी शस्त्र द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किया जायेगा तथा इन्हें प्रत्येक माह अवलोकित भी किया जायेगा। प्रभारी अधिकारी के स्थानान्तरण की दशा में नये प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तत्काल की जायेगी।

13. जिला मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण के समय कोषागार का कार्यभार दिये जाते समय ही शस्त्र लाइसेंसों के रजिस्टर भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे

तथा उनके द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंसों का विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि स्थानान्तरण के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रविष्टियां न की जा सकें।

शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं इनका नवीनीकरण एक अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण है। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगें कि इस कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाये और किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने दी जाये। इन आदेशों से समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अवगत भी कराने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0 रविशंकर)
सचिव गृह।

संख्या: आर/छः-पु0-5-6-678/96, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव, गृह।